52

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 880-एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 10-3-16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक 138/14-15/अपील.

मातादीन पुत्र पंचाराम जाति प्रजापति
निवासी वेयर हाउस के पीछे
मजरा रोड जौरा
तह. जौरा जिला मुरैना ---- आवेदक

विरूद्ध

जगदीश पुत्र दौलतिया जाति कुशवाह
निवासी वेयर हाउस के पीछे मजा रोड जौरा,
तहसील जौरा जिला मुरैना ---- अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता एस0 के0 अवस्थी ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 3-8-2016 **को पारित)**

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 138/2014-15/अपील में पारित आदेश दिनांक 10-3-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 115 एवं 116 के तहत इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि ग्राम गैपरा की भूमि सर्वे नंबर 814 रकबा 0.40 को उन्होंने म0प्र0 शासन से

पटटे पर खरीदी थी । जिसका प्रीमियम अदा कर तहसील के आदेश दिनांक 29-8-2003 द्वारा उसे पट्टा दिया गया था जब वह दिनांक 2-12-13 को खसरा पांचसाला की नकल लेने पहुंचा तो पता चला की उसकी बिना सूचना के आवेदक के नाम को खाना नंबर 3 में भूमिस्वामी के रूप में अंकित कर दिया गया है । अतः आवेदक का नाम हटाकर अनावेदक का नाम अंकित किया जाये । तहसीलदार ने उक्त आवेदन पर सुनवाई करते हुए आदेश दिनांक 6-8-14 द्वारा आवेदक का नाम विलोपित कर अनावेदक का नाम अंकित करने के आदेश दिये ।

तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 27-2-15 को प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह पाया कि आवेदक का नाम नायब तहसीलदार, जौरा के प्र0क0 54/05-06/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 18-7-06 द्वारा अनावेदक जगदीश की सहमति से तथा उसके कथन अंकित करने के उपरांत दर्ज किया गया था, इस तथ्य को अनावेदक द्वारा छिपाया गया है तथा न्यायालय को गुमराह करने की नियत से नवीन तथ्यों का समावेश किया गया । उक्त आधार पर अपील स्वीकार की एवं तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया ।

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि तहसीलदार एवं अपर आयुक्त के आदेश विधिसम्मत नहीं हैं क्योंकि आवेदक के नाम का इन्द्राज विवादित भूमि पर तहसीलदार के प्र0क0 54/05-06/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 18-7-06 द्वारा किया था, उक्त आदेश अनावेदक की सहमति से पारित किया गया था । इस प्रकरण में अनावेदक द्वारा स्वयं अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि उक्त भूमि पर उसका कब्जा नहीं है बल्कि आवेदक कई वर्षो से काबिज होकर खेती कर रहा है । आवेदक का नाम दर्ज कर दिया जाये, जिसमें उसे कोई आपत्ति नहीं है ।

यह तर्क दिया गया है कि तहसीलदार के उक्त आदेश को अनावेदक द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है, इस कारण उक्त आदेश अंतिम हो चुका है । इससे स्पष्ट है कि आवेदक स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है । यदि विचारण न्यायालय

द्वारा आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता तो आवेदक उक्त स्थिति न्यायालय के समक्ष रखता । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा उक्त तथ्य को छिपाकर संहिता की धारा 115, 116 का आवेदन 8 वर्ष उपरांत दिया गया जो प्रचलन योग्य ही नहीं था क्योंकि आवेदन पर कार्यवाही की समय सीमा संहिता की धारा 116 के तहत एक वर्ष है । अतः अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, ना ही अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथपत्र पर प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया न ही प्रकरण आवेदक की साक्ष्य के लिए नियत किया गया । उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा दिनांक 29-8-03 को अनावेदक को दिया गया था । गलत तरीके से आवेदक का नाम खसरे में दर्ज किये जाने के कारण अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर आवेदक के नाम की प्रविष्टि को निरस्त कर अनावेदिका का नाम दर्ज करने के आदेश देने में तहसील न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है और ना ही त्रुटि अपर आयुक्त के आदेश में है । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के नाम का इन्द्राज अनावेदक जगदीश कुशवाह की सहमति तथा उसके कथन के उपरांत तहसीलदार द्वारा प्र0क0 54/05-06/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 18-7-06 द्वारा किया गया था । उक्त प्रकरण में अनावेदक जगदीश द्वारा किए गए कथन की प्रमाणित प्रति संलग्न है, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक मातादीन मौके पर काबिज होकर खेती कर रहा है । अभिलेख से मेरा नाम (जगदीश) निरस्त कर मातादीन का नाम दर्ज करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है । पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक भी अपने कथनों आवेदक मातादीन को काबिज होने की बात कही गई है । इस प्रकार है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 18-7-06 को मातादीन का नाम की प्रविष्टि आवेदक की सहमति के उपरांत की गई थी । तहसीलदार उक्त आदेश

को अनावेदक जगदीश द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है और उक्त तथ्य को छिपाकर संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत दिनांक 6-8-14 को अर्थात 8 वर्ष उपरांत अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदक के नाम की प्रविष्टि को हटाकर उसका नाम अंकित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और तहसीलदार द्वारा बिना किसी जांच किए और आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये आवेदक का नाम विलोपित कर अनावेदक का नाम दर्ज कर दिया गया है जो कि पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही है । इसके अतिरिक्त प्रकरण में यह भी प्रश्न विचारणीय है कि वर्ष 2006 की प्रविष्टि को अनावेदक द्वारा लगभग 8 वर्ष उपरांत संशोधित किए जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि संहिता की धारा 116 के अंतर्गत आवेदन पर प्रविष्टि संशोधित करने के लिए एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित है । अतः स्पष्टतया अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अवधि बाह्य था इस वैधानिक स्थिति पर तहसीलदार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अतः तहसीलदार के अवैधानिक आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतया विधिसम्मत कार्यवाही की गई थी परंतु अपर आयुक्त ने उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया है जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध कार्यवाही होकर अन्याय पूर्ण कार्यवाही है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-3-16 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-2-15 स्थिर रखा जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदक का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये और तद्नुसार राजस्व अभिलेख दुरस्त किए जाये ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर